राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
90वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2024

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 90वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वित्त, सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, अपर सचिव, समाज कल्याण, अपर सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उत्तराखंड, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एशोसियेशन, उत्तराखण्ड, राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तराखण्ड, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड व बैंक नोडल अधिकारियों के मध्य साईबर क्राईम विषयक बैठक दिनांक 20.07.2024 को आयोजित की गयी थी। सभी प्रमुख बैंको द्वारा नोडल ऑफिसर्स का नाम STF को उपलब्ध करा दिया गया है।

➢ वित्त विभाग से आग्रह है कि वे Department of Financial Services (DFS), Ministry of finance, Government of India को इस आशय से पत्र प्रेषित करें की DFS सभी बैको को निर्देशित करें कि स्वामित्व कार्ड योजना विषयक सभी बैंक अपना Circular/SOP जारी करे।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ जिन बैंकों द्वारा अभी तक नोडल ऑफिसर्स के नाम उपलब्ध नही कराये गये है वो बैंक प्राथमिकता के आधार पर नोडल ऑफिसर्स का नाम STF को उपलब्ध कराये।

➢ वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन, Department of Financial Services (DFS), Ministry of finance, Government of India को इस आशय से पत्र प्रेषित करें कि DFS सभी बैको को निर्देशित करें कि स्वामित्व कार्ड योजना विषयक सभी बैंक अपना Circular/SOP जारी करे।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी. / समस्त बैंक / वित्त विभाग)

2. वार्षिक ऋण योजना 2024–25 :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम त्रैमास में फार्म सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 15440.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 4450.00 करोड़ (29%) तथा एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 22404.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 11097.00 करोड़ (50%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम त्रैमास में वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 42271.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 16144.00 करोड़ (38%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC: AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय-3

3. **ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम त्रैमास में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत है।

➢ राज्य के 06 जिलों यथा : पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है।

➢ ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु बैंकों को कृषि एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में big ticket size के साथ–साथ अधिक संख्या में small ticket size के ऋण करने होंगे।

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु निम्नवत सुझाव दिया गया :

➢ जिन जिलों में ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है, उन जिलों में ऋण–जमा अनुपात मे अपेक्षित सुधार हेतु जिला स्तरीय ऋण–जमा अनुपात समिति को सक्रियता बढ़ानी होगी।

➢ के.सी.सी. योजना अंतर्गत राज्य में किसान सम्मान निधि की संख्या के सापेक्ष कवरेज कम है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु Scale of finance का निर्धारण अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, द्वारा निम्नवत सुझाव दिया गया :

➢ ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु सभी बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्धि करनी होगी।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ कृषि विभाग वित्तीय वर्ष 2024–25 के Scale of finance के निर्धारण हेतु अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

➢ सभी जिलों की जिला स्तरीय ऋण–जमा अनुपात समिति सक्रिय रूप से कार्य करे ताकि ऋण–जमा अनुपात में वृद्धि हो सके।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

4. **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :**

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ नाबार्ड द्वारा विशेष रूप से राज्यों के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु बैंकों के BC's (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स) एवं CSC's को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पायलट योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जहाँ बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सीमित होती है।

- अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों मे वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

➢ ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) तथा स्वंय सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और छोटे उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एवं बैंकों की सक्रिय भूमिका इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC AO-3

5. **<u>बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव :</u>**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 15 गांवों में से 1 गांव समकोट, जिला पिथौरागढ मे IPPB द्वारा बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा दी गयी ह तथा 2 गांवो में कनेक्टिविटी और बिजली की व्यवस्था स्थापित हो गई है जिनमे नेटवर्क का परीक्षण करने के बाद BSNL द्वारा एक्सेस प्वाइंट जारी किया जाएगा।

➢ यू.पी.सी.एल, विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिन 10 गांवो में विधुत आपुर्ति नहीं है, उनमे से 09 गांवो मे परिवारों की संख्या कम होने के कारण विधुतिकरण की लागत अधिक आ रही है, अतः 09 गांवों को विधुत विभाग द्वारा सौर ऊर्जा सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है तथा 01 गांव (ग्राम कुटटी, जिला पिथौरागढ़) को शीघ्र ही विधुत सुविधा प्रदान की जायेगी।

➢ दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिन 10 गांवो में कनेक्टिविटी नहीं है उन 10 गांवों में दूरसंचार सुविधा हेतु USOF's को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित अवशेष 14 गांवों को आच्छादित किये जाने हेतु IPPB एवं को–ऑपरेटिव बैंक अपनी कार्ययोजना से शासन को अवगत कराये।

(कार्यवाही : IPPB / को–ऑपरेटिव बैंक / दूरसंचार विभाग / यू.पी.सी.एल.)

6. **<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)</u> :**

- राज्य निदेशक, आरसेटी द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको से आग्रह है कि वे आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त शत प्रतिशत अभ्यर्थियों का Credit linkage करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

➢ बैंकों से आग्रह है कि वे आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों कें लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र करे।

- सचिव, ग्राम्य विकास, उतराखण्ड शासन, द्वारा निम्नवत सुझाव दिया गया :

➢ आरसेटी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों के जीवन स्तर में सुधार एवं आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।

➢ आरसेटी प्रशिक्षणार्थियों को बैंक वित्तपोषण से उनकी आजीविका में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन (migration) रुकने का अवलोकन करना होगा।

➢ आगामी एस.एल.बी.सी. सब–कमिटी बैठक मे आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के Minimum lending पर चर्चा की जाय।

- सचिव, वित्त, उतराखण्ड शासन, द्वारा निम्नवत सुझाव दिया गया :

➢ आगामी एस.एल.बी.सी. सब–कमिटी बैठक मे आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के Average lending पर चर्चा की जाय।

- निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उत्तराखंड, द्वारा निम्नवत सुझाव दिया गया :

➢ बैंक से आग्रह है कि वे सामाजिक दायित्व को मध्यनजर रखते हुये समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के योग्य आवेदकों को यथानुसार ऋण प्रदान करें।

➢ एस.एल.बी.सी. की आगामी सब–कमिटी बैठक मे चर्चा की जाये कि कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने आवेदको को योजना अंर्तगत लाभान्वित किया गया है।

(कार्यवाही : राज्य निदेशक आरसेटी / आरसेटी / अग्रणी जिला प्रबन्धक / एस.एल.बी.सी.)

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC, AO-3

7. नाबार्ड :

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बकरी पालन (Goatry) हेतु नाबार्ड द्वारा बनाये गये बैंकिंग प्लान को बैंकों द्वारा जिला स्तर एवं शाखा स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह (GLC) को बढ़ाया जा सके।

➢ Joint Liability Group (JLG) के अंतर्गत बैंकों द्वारा वित्तपोषण, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नही है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रगति दर्ज करें।

➢ कृषि क्षेत्र अंतर्गत ऋण प्रभाव में बृद्वि हेतु बैंकों को कृषि गतिविधियों यथा : पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, एफ. पी.ओ., जे.एल.जी. में ऋण प्रभाव बढ़ाना होगा।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

8. सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम त्रैमास में पी.एम.स्वनिधि योजना अंतर्गत 91%, एन.यू.एल.एम. (Individual) में 81%, एन.यू.एल.एम. (Group) मे 101%, पी.एम. अजय योजना अंतर्गत 63%, पी.एम.एफ.एम.ई. में 50%, ए.आई.एफ. में 35%, मुद्रा में 21%, पी.एम.ई.जी.पी. में 3%, एम.एस.वाई. में 5%, होम स्टे में 8%, VCSGSY, वाहन में 5%, VCSGSY, गैर–वाहन में 18% की प्रगति दर्ज की गयी है।

➢ दिनांक 30.06.2024 तक पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 26.82 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 13.93 करोड़ की राशि क्लेम की गयी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 52% है। अतः विभाग से आग्रह है कि वे मार्जिन मनी क्लेम राशि का बैंकों को भुगतान करने का कष्ट करें।

➢ समस्त सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के 150 प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा एन.आर.एल.एम. योजना विषयक सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ योजना अंतर्गत कुछ बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है तथा कुछ बैंकों की शाखाओं द्वारा अनुचित कारणों से ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा रहा है अथवा लम्बित रखा जा रहा है।

➢ बैंकों से आग्रह है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का यथा समय सीमा में निस्तारण करें।

- प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा एस.सी.पी. अल्पसंख्यक योजना विषयक सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बैंक शाखाओं को माह सितम्बर तक ऋण आवेदन पत्र प्रेषित कर दिये जायेगे।

➢ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

- सहायक निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे NULM योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण जारी रखें।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :

➢ विभाग, एस.सी.पी. अल्पसंख्यक योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रो की बैंक–वार तथा शाखा–वार सूची, एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें, ताकि सम्बन्धित बैंक नियंत्रकों को सूची प्रेषित कर अनुवर्ती (follow-up) कार्यवाही की जा सके।

➢ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की आगामी उप समिति की बैठक में होम स्टे योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने विषयक निर्णय हेतु बैठक में सचिव, आवास की प्रतिभागिता सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./समस्त बैंक/अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम)

9. कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ विभागद्वारा शासन से आग्रह किया गया कि शासन द्वारा कृषि ऋण पर ₹ 5 लाख तक स्टाम्प शुल्क में छूट में SHG's को भी शामिल किया जाय।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

10. किसान क्रेडिट कार्ड :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम त्रैमास में बैंकों द्वारा 117294 के.सी.सी. निर्गत किये गये हैं, जिनमें रु. 1535.54 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है तथा त्रैमास जून, 2024 तक 605304 के.सी.सी. में रु. 7363.48 का ऋण वितरित किया गया है।

➢ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी एवं के.सी.सी. योजना अंतर्गत कवर किसानो मे अंतर का प्रमुख कारण उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खाता एवं के.सी.सी. खाता भिन्न बैंकों मे होना है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ सभी बैंक के.सी.सी.– पशुपालन एवं मत्स्य पालन योजना अंतर्गत ऋण वितरण में बृद्धि करे, जिससे योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

11. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS):

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :

➢ आगामी एस.एल.बी.सी. बैठक मे फसल बीमा योजना अंतर्गत लंबित दावों की रिपोर्ट पूर्ण विवरण यथा : लंबित अवधि सहित कृषि विभाग प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही : कृषि विभाग)

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)